विषय सूची

भाग I
प्रस्तावना
भाग II
आयात व्यापार के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धंत और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत
1. सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत
2. फार्म अ-1
3. आयात लाइसेंस
4. विदेशी मुद्रा क्रेता का दायित्व
5. आयात भुगतान के निपटान की समय सीमा
अ. सामान्य आयात के लिए समय सीमा
आ. आस्थगित भुगतान व्यवस्था की समय सीमा
इ. पुस्तकों के आयात की समय सीमा
6. विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए का आयात
अ. भारतीय करेंसी और करेंसी नोटों का आयात
आ. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात

भाग III

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत
1. अग्रिम प्रेषण
अ. आयात माल के लिए अग्रिम प्रेषण
आ. कच्चे हीरे के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण
इ. वायुयान, हेलीकॉप्टर के आयात और अन्य विमानन संबंधित खरीद के लिए अग्रिम प्रेषण
2. आयात बिलों पर ब्याज
3. प्रतिस्थापन आयात के बदले प्रेषण
4. प्रतिस्थापन आयात के लिए गारंटी
5. बीपीओ कंपनियों द्वारा उनके समुद्रपारीय कर्यालयों के लिए उपकरणों का आयात
6. आयात बिलों/ दस्तावेजों की प्राप्ति
अ. आयातक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति
आ. प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति
7. आयात का प्रमाण
अ. प्रत्यक्ष आयात
आ. बिल ऑफ एंट्री के बदले आयात का प्रमाण
इ. अगोचर आयात

8. प्राप्ति सूचना जारी करना
9. सत्यापन और परिरक्षण
10. आयात साक्ष्यों का अनुवर्तन
11. बैंक गारंटी जारी करना
12. नामित बैंकों / एजेंसियों द्वारा सोने/ प्लैटिनम/ चांदी की आयात
अ. परेषण आधार पर आयात
आ. अनिर्धारित मूल्य आधार पर आयात
इ. सोने का सीधे आयात
ई. सोना ऋण
13. आयात फैक्टरिंग
14. वाणिज्यिक व्यापार

भाग IV

संलग्नक 1

संलग्नक 2

संलग्नक 3

संलग्नक 4

परिशिष्ट

भाग I

प्रस्तावना

आयात व्यापार का विनियमन भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेशी व्यापार के महानिदेशक करते हैं।

भारत मे आयात करते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक सुनिश्चित करें कि वे भारत में प्रचलित निर्यात आयात नीति और भारत सरकार द्वारा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(E) द्वारा बनाई गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 और समय समय पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप हैं।

भारत में आयात के लिए अपने ग्राहकों की ओर से साखपत्र खोलते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य प्रणाली का अनुसरण करें और यूनिफॉर्म कस्टम्स ऐंड प्रैक्टिसेज़ फॉर डॉक्युमेंटरी क्रेडिट्स (यूसीपीडीसी), आदि के प्रावधानों का पालन करे ।

ड्रॉइंग और डिज़ाइन के आयात के संबंध में रिसर्च ऐंड डेवल्पमेंट सेस ऐक्ट, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातकों को यह भी सूचित करें कि यथालागू आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भाग II

आयात व्यापार के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत और प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत

1. सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत

अपने ग्राहकों की ओर से आयात भुगतान लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण की दृष्टि से अनुसरण की जानेवाली नियमावली और विनियमावली, निम्नलिखित पैराग्राफों में निर्धारित की गई हैं। जहां पर विनिर्दिष्ट विनियमावली मौजूद नहीं है , प्राधिकृत व्यापारी बैंक सामान्य व्यापार प्रथा द्वारा नियंत्रित किए जाएं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने सभी लेनदेनों में भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी "अपने ग्राहकों को जानिए" (केवाईसी) के दिशानिदेशों के अनुसरण को विशेष रूप से नोट करें।

2. फार्म ए-1

व्यापारी, फर्म और कंपनियां भारत में आयात के लिए 500 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक के भुगतान हेतु उपयुक्त फार्म अ1 में आवेदन करें।

3. आयात लाइसेंस

नकारात्मक सूची में शामिल माल, प्रचलित निर्यात आयात नीति के अंतर्गत लाइसेंस की अपेक्षा रखनेवाले को छोड़कर, प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयात के लिए साखपत्र मुक्त रूप से खोलें और प्रेषणों की अनुमति दें। "विदेशी मुद्रा नियंत्रण के प्रयोजन हेतु" प्रति मंगवाई जाए और विशेष शर्तें, यदि कोई हो, जो लाइसेंसों के साथ संलग्न हों तो उनका अनुसरण किया जाए। लाइसेंस के तहत प्रेषण के बाद उसकी विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि, प्राधिकृत व्यापारी बैंक आंतरिक लेखा परीक्षकों अथवा निरीक्षकों द्वारा इसके सत्यापन किए जाने तक अपने पास रखें।

4. विदेशी मुद्रा क्रेता का दायित्व

i) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) की धारा 10(6) के अनुसार विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति है कि वह उसे अधिनियम की धारा 10(5) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी बैंक को दी गई अपनी घोषणा में उल्लिखित प्रयोजन के लिए अथवा उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली अथवा विनियमावली के अंतर्गत किसी अन्य प्रयोजन हेतु, जिसके लिए विदेशी मुद्रा का अभिग्रहण स्वीकार्य है, उसका उपयोग कर सकता है।

ii) जहां अभिगृहीत विदेशी मुद्रा का उपयोग भारत में माल आयात के लिए

किया गया है, वहां प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि आयातक आयात के लिए साक्ष्य अर्थात् बिल ऑफ एंट्री की एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी, पोस्टल एप्रेसल फार्म अथवा कस्टम एसेसमेंट सर्टिफिकेट, आदि प्रस्तुत करता है तथा इस बात से भी खुद को संतुष्ट करे प्रेषण के मूल्य के समतुल्य माल का आयात किया गया है ।

iii) मई 3, 2000 की अधिसूचना क्र. फेमा14/2000-आरबी में निर्धारित आयात के भुगतान की स्वीकार्य विधियों के अलावा आयात का भुगतान भारत में किसी बैंक के पास रखे गये समुद्रपारीय निर्यातक के अनिवासी खाते में जमा द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त उप-पैराग्राफों (i) और (ii) में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे ।

5. आयात भुगतान के निपटान की समय सीमा

अ. सामान्य आयात के लिए समय सीमा

i) मौजूदा विनियमों के अनुसार, गारंटी निष्पादन आदि के कारणों से रोकी गई राशि के मामलों को छोड़कर आयात के लिए प्रेषणों को पोत लदान की तारीख से अधिकतम छह महीने तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।
ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक विवादों, वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण विलंबित आयात देयताओं के भुगतान के लिए अनुमति दे सकते हैं। ऐसे विलंबित भुगतानों के ब्याज की अनुमति निम्नलिखित भाग III के पैरा 2 के निदेशों के अनुसार दी जाए।

आ. आस्थगित भुगतान व्यवस्था के लिए समय सीमा

पोतलदान की तारीख से छः महीने की अवधि से आगे तीन वर्ष की अवधि से कम की अवधि केभुगतानों का प्रावधान करनेवाले आपूर्तकर्ता और क्रेता ऋण सहित आस्थगित भुगतान की व्यवस्था को व्यापार ऋण के रूप में समझा जाता है जिसके लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋण के मास्टर परिपत्र में निर्धारितप्रक्रियागत मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाए।

इ. पुस्तकों के आयात की समय सीमा

पुस्तकों के आयात के प्रेषण को बिना किसी समय सीमा के अनुमति दी जाए बशर्ते ब्याज भुगतान, यदि कोई है, वह भाग III के पैराग्राफ 2 में निहित अनुदेशों के अनुसार है।

6. विदेशी मुद्रा/ भारतीय रुपए का आयात

नियमावली में दिए गए अन्यथा को छोड़कर, कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक के सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बगैर किसी विदेशी मुद्रा का भारत में आयात नहीं करेगा अथवा भारत नहीं लाएगा। चेक सहित करेंसी के आयात को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (छ) और समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. ऋेमा 6/आरबी-2000 द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) नियमावली 2000 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

अ. भारतीय करेंसी और करेंसी नोटों का आयात

(i) अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गए भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के किसी स्थान (नेपाल और भूटान से इतर) से भारत लौटते समय भारत सरकार के करेंसी नोट और प्रति व्यक्ति अधिकतम 5,000 रु. की राशि तक के रिज़र्व बैंक के नोट भारत ला सकता है।

(ii) एक व्यक्ति नेपाल अथवा भूटान से 100 रु. से अधिक मूल्यवर्ग के नोटों से इतर भारत सरकार के करेंसी नोट और रिज़र्व बैंक के नोट, किसी भी मामले में, भारत ला सकता है।

आ. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात

(iii) रिज़र्व बैंक उसके द्वारा अनुबद्ध शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति को भारत सरकार और/ अथवा रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट भारत लाने की अनुमति दे सकता है।

एक वयक्ति -

(i) करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों से इतर किसी भी रूप में बगैर किसी सीमा के विदेशी मुद्रा भारत भेज सकता है;

(ii) भारत से बाहर किसी भी स्थान से बगैर किसी सीमा के विदेशी मुद्रा (जारी न किए गए नोटों से इतर) भारत ला सकता है, जोइस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी व्यक्ति भारत आने पर इन विनियमों को संलग्न करेंसी घोषणा ऋार्म में सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषणा प्रस्तुत करे; बशर्ते इसके अलावा कि ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी भी समय किसी व्यक्ति द्वारा करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा यात्री चेकों के रूप मे लाए गए विदेशी मुद्रा का सकल मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर (दस हजार अमरीकी

डॉलर) अथवा इसके समतुल्य से अधिक न हो और/अथवा किसी भी समय ऐसी व्यक्ति द्वारा लायी गई विदेशी मुद्रा का एकल मूल्य 5,000 अमरीकी डॉलर (पांच हज़ार अमरीकी डॉलर) अथवा इसके समतुल्य से अधिक न हो।

भाग III

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत

1. अग्रिम प्रेषण

अ. माल के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक माल आयात के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीमा रहित अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :

(क) यदि अग्रिम प्रेषण की राशि 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक हो तो भारत से बाहर स्थित ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक से शर्तरहित अप्रतिसंहरणीय अतिरिक्त साखपत्र अथवा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक से गारंटी प्राप्त की जाती है यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर स्थित किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा काउंटर-गारंटी पर जारी की जाती है।

(ख) जहाँ आयातक (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या विभाग / भारत सरकार / राज्य सरकार का उपक्रम से इतर) विदेशी आपूर्तिकर्ता से बैंक गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ है और प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक के पिछले कार्य निष्पादन तथा प्रामाणिकता से संतुष्ट है तो 1,000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर) तक के अग्रिम विप्रेषण के लिए बैंक गारंटी/अतिरिक्त साख पत्र की आवश्यकता पर जोर न दे। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे मामलों की निपटाने के लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा तैयार किए गए उपयुक्त नीति के अनुसार अपना आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें ।

(ग) अग्रिम भुगतान के तहत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक से गारंटी प्राप्त करने में असमर्थ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों के लिए यह आवश्यक है कि वे 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के अग्रिम प्रेषणों से पहले वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से बैंक गारंटी से विशेष छूट प्राप्त करें ।

(ii) प्रेषण सीधे माल के आपूर्तिकर्ता अथवा विनिर्माता को किए जाएं न कि किसी तीसरी पार्टी या संख्याांकित खाते को।

(iii) भारत में माल का वास्तविक आयात प्रेषण की तारीख से छह माह में (पूंजीगत माल की स्थिति में तीन साल के अंदर) किया जाता है और आयातक आयात के दस्तावेजी साक्ष्य संबंधित अवधि की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता है।

(iv) माल का आयात न होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी बैंक सुनिश्चित करें कि अग्रिम प्रेषण राशि को भारत प्रत्यावर्तित किया जाता है अथवा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए खर्च किया जाता है जिसके लिए अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली अथवा विनियमावली के तहत विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति है।

आ. कच्चे हीरों के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे बगैर किसी सीमा के और किसी आयातक (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रमों से इतर) द्वारा बगैर गारंटी अथवा स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के निम्नलिखित खनन कंपनियों से भारत में कच्चे हीरों के आयात की अनुमति दे अर्थात्

क) डायमंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यू.के.,
ख) रियो टिंटो, यू.के.,
ग) बीएचपी बिल्लिटोन, आस्ट्रेलिय।
घ) इंडियामा, ई.पी. अंगोला,
ङ) अलरोसा, रूस, और
च) गोखरन, रूस।

(ii) अग्रिम प्रेषण की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी बैंक निम्नलिखित को सुनिश्चित करें -

(क) आयातक इस संबंध में जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काऊंसिल द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार कच्चे हीरों का मान्यताप्राप्त संसाधक (प्रोसेसर) हो तथा उसका निर्यात वसूली का पिछला रिकार्ड अच्छा हो;

(ख) प्राधिकृत व्यापारी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर और लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद लेनदेन करे;

(ग) अग्रिम भुगतान बिक्री करार की शर्तों पर हीकीजाए और सीधे संबंधित कंपनी, जो अंतिम लाभ भोगी है, के खाते में की जाए न कि संख्यांकित खाते या अन्यथा के माध्यम से। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए क कांफ्लिक्ट हीरों के आयात के लिए प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाती है;

(घ) भारतीय आयातक कंपनी और समुद्रपारीय कंपनी के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानिए और पर्यात कर्मठता का पालन किया जाना चाहिए; और

(ङ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस संबंध में जारी क्रेमा/ नियमों/ विनियमों/ निदेशों के अनुसार आयातक द्वारा देश में कच्चे हीरों के आयात का सबूत देनेवाला बिल ऑफ एंट्री/ दस्तावेज की प्रस्तुति का अनुवर्तन करे;

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक उपर्युक्त शर्तों और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त बैंक गारंटी की विशेष छूट की शर्त पर अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकता है जहां अग्रिम भुगतान 100,000 अमरीकी डॉलर (एक सौ हजार अमरीकी डॉलर मात्र) अथवा उसके समतुल्य है।

(iv) बगैर बैंक गारंटी अथवा स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के 5,000,000 अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) के समतुल्य अथवा उससे अधिक के अग्रिम भुगतान की रिपोर्ट (संलग्नक-2) में मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 के पास करना आवश्यक है। रिपोर्ट संबंधित अर्धवर्ष की समाप्ति पर 15 दिनों के अंदर जमा की जानी चाहिए।

इ. वायुयान, हेलीकॉप्टर और अन्य विमानन संबंधी खरीदों के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण

अनुसूचित वायु परिवहन सेवा के रूप में परिचालन करने के लिए महानिदेशक, नागरिक विमानन द्वारा अनुमत वायुयान कंपनियों को एक क्षेत्र विशेष उपाय के रूप में बगैर बैंक गारंटी के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के अग्रिम प्रेषण की अनुमति दी गई है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्येक वायुयान, हेलीकॉप्टर और विमानन संबंधी अन्य खरीदों के शर्तरहित, अविकल्पी स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त किए बगैर अग्रि प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए प्रेषण निम्नलिखित शर्तों पर की जाएंगीः

i. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट होने और अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर लेनदेन करें। भारतीय आयातक कपनी साथ ही विदेशी विनिर्माता कंपनी के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने ग्राहकों का जानिए और पर्याप्त तत्परता का पालन करे।

ii. अग्रिम भुगतान बिक्री करार की शर्तों के अनुसार ही की जाए और संबंधित विनिर्माता (आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे की जाए।

iii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने स्वयं का आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करे।

iv. सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारत सरकार/ राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि 100,000 अमरीकी उॉलर से अधिक के अग्रिम बैंक प्रेषण के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के छूट प्राप्त हुई है।

v. भारत में माल का वास्तविक आयात प्रेषण की तारीख से छः माह (पूंजीगत माल के मामले में तीन वर्ष) के अंदर किया जाता है और आयातक संबंधित अवधि की समाप्ति से पंद्रह दिनों के अंदरआयात के दस्तावेजी प्रस्तुत करने का वचनपत्र देता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अग्रिम का भुगतान चरणबद्ध रूप में किया जाता है, करार के अनुसार किए गए अंतिम प्रेषण की तारीख को आयात के दस्तावेजी सबूत की प्रस्तुति के लिए गणना में लिया जाएगा।

vi. प्रेषण पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि आयात के लिए कंपनी ने वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार नागरिक विमानन मंत्रालय/ डीजीसीए/ अन्य एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है।

vii. वायुयान और विमानन क्षेत्र संबंधी उत्पादों के आयात नहीं होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम प्रेषण की राशि भारत को तत्काल प्रत्यावर्तित की जाती है।

उपर्युक्त अनुबद्धों से किसी प्रकार हअने के मामले में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

2. आयात बिलों पर ब्याज

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक लदान की तारीख से तीन वर्ष से कम अवधि के लिए निर्धारित दरों पर मीयादी बिल पर ब्याज अथवा अतिदेय ब्याज के भुगतान की अनुमति दें। चालू समग्र लागत सीमा निम्न प्रकार है :

परिपक्वता अवधि	6 माह लिबोर के ऊपर समग्र लागत सीमा*
एक वर्ष तक	50 आधार बिंदु
एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	125 आधार बिंदु

* ऋण की अलग-अलग मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

(ii) मीयादी आयात बिलों के पूर्व भुगतान के मामले में, दावा किए गए दर पर असमाप्त मीयाद के लिए आनुपातिक ब्याज घटाने के बाद ही अथवा करेंसी के लिबोर , जिस पर माल का बीजक किया गया है , जो भी लागू हो, प्रेषण किया जाए। जहां ब्याज के लिए अलग से दावा नहीं किया गया है अथवा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, बीजक की करेंसी के प्रचलित लिबोर पर असमाप्त मीयाद के लिए आनुपातिक ब्याज की कटौती के बाद प्रेषण की अनुमति दी जाए।

3. प्रतिस्थापन आयात के बदले प्रेषण

यदि माल की कम आपूर्ति हुई है, माल क्षतिग्रस्त हो गया है, कम मात्रा में पहुंचा है अथवा रास्ते में खो गया है और मूल माल, जो खो गया है, की जमानत पर खोले गए साख पत्र की सुरक्षा के लिए आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि का उपयोग किया जा चुका है, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक खोए हुए माल की कीमत तक के मूल पृष्ठांकन को रद्द करे और रिज़र्व बैंक को संदर्भ भेजे बगैर आयात के प्रतिस्थापन के लिए नए प्रेषण की अनुमति दे बशर्ते खोए हुए माल से संबंधित बीमा दावा आयातक के पक्ष में निपटाया गया हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिस्थापित कन्साइनमेंट लाइसेंस की वैधता अवधि के भीतर ही भेज दिया जाता है।

4. प्रतिस्थापन आयात के लिए गारंटी

दोषपूर्ण आयात के मामलों में, यदि माल का प्रतिस्थापन समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्व में आयातित दोषपूर्ण माल को पुनः भारत से बाहर भेजे जाने से पहले किया जा रहा है तो दोषपूर्ण माल के भेजने/ वापसी के आयातक ग्राहक के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने वाणिज्यिक फैसले के अनुसार गारंटी जारी कर सकते हैं।

5. बीपीओ

प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत स्थित बीपीओ कंपनियों को समुद्रपार में उनके अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटरों की स्थापना के संबध में उनके समुद्रपारीय कार्यालयों

कंपनियों द्वारा अपने समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए उपकरणों का आयात

के लिए उपकरणों के आयात और उन्हें स्थापित करने की लागत के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं :

(क) बीपीओ कंपनी को अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर की स्थापना के लिए संचार और सूचना मंत्रालय, भारत सरकार तथा संबंधित अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I की वास्तविकता और पूरी तरह करार की शर्तों पर प्रेषण की अनुमति दी जाए।

(ग) समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे प्रेषण किया जाता है।

(घ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आयातक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा लेखा परीक्षक से आयात के सबूत के रूप में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि माल, जिसके लिए प्रेषण किया गया है, का वास्तव में आयात किया गया है और उसे समुद्रपारीय कार्यालय में स्थापित किया गया है।

6. आयात बिलों/ दस्तावेजों की प्राप्ति

अ. आयातक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

आयात बिल और दस्तावेज आपूर्तिकर्ता के बैंकर से भारत में आयातक के बैंकर द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए । इसलिए, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता से आयातक द्वारा सीधे आयातपत्र प्राप्त करने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी बैंक कोई भी प्रेषण न करें :-

i. यदि आयात बिल का मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।

ii. विदेशी कंपनियों की पूर्ण स्वामित्ववाली भारतीय सहायक संस्थाओं द्वारा उनके प्रधान से प्राप्त आयात बिल।

iii. विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित हैसियत धारक शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों/ फ्री ट्रेड ज़ोन में स्थित इकाइयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

iv. सभी लिमिटेड कंपनियों अर्थात पब्लिक लिमिटेड, डीम्ड पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा प्राप्त आयात बिल।

आ. प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे आयात दस्तावेजों की प्राप्ति

(i) आयातक ग्राहकों के अनुरोध पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त के अनुसार समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे ही बिल प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक की वित्तीय स्थिति / हैसियत और पिछले कार्य निष्पादन रेकार्ड से पूरी तरह संतुष्ट हो ।

(ii) सुविधा देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी बैंक समुद्रपारीय बैंकर अथवा

प्रतिष्ठित क्रेडिट एजेंसी से प्रत्येक समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करे। फिर भी, 100,000 अमरीकी डॉलर से कम बीजक मूल्यवाले मामलों में समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने की जरूरत नहीं है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की वास्तविकता और आयातक घटक के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड से संतुष्ट हो।

7. आयात का प्रमाण

अ. प्रत्यक्ष आयात

(i) आयात के सारे मामलों में, जहां भारत में आयात के लिए भेजी गई/ भुगतान की गई विदेशी मुद्रा की राशि 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक है तो जिस प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से संबंधित प्रेषण भेजा गया है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आयातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हैं :-

(क) घरेलू उपभोग के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि; अथवा

(ख) शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई के मामले में वेयरहाउसों के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि;
अथवा

(ग) डाक द्वारा आयात करने के मामले में आयातक द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को यथा घोषित सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र अथवा पोस्टल अप्रेज़ल फार्म, एक साक्ष्य के रूप में कि जिस माल के लिए भुगतान किया गया है, उसका वास्तविक रूप से आयात किया गया है।

(ii) डी/ए आधार पर किए गए आयातों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातपत्र के लिए प्रेषण भेजते समय आयात साक्ष्य प्रस्तुत करने का आग्रह करें। तथापि, कंसाइंमेंट का न पहुंचना, कंसाइंमेंट सुपुर्दगी/सीमा शुल्क निकासी में विलंब जैसे जायज़ कारणों से आयातक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आयातक के अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक को आयात का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रेषण की तारीख से अधिकतम तीन महीने का उचित समय दे सकते हैं।

आ. बिल ऑफ एंट्री के बदले आयात का प्रमाण

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक घरेलू उपभोग के लिए आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अथवा कंपनी के लेखा परीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार करें कि प्रेषण भारत में वास्तव में

आयात किए गए मालों के लिए है, बशर्ते :-

(क) प्रेषित विदेशी मुद्रा की राशि 1,000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर)अथवा उसके समतुल्य राशि से कम है,
(ख) आयातक भारत में स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध एक कंपनी है और जिसकी शुद्ध मालियत उसके पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपये से कम नहीं है,

अथवा

आयातक कोई सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार का उपक्रम अथवा उसका कोई विभाग है।

(ii) उक्त सुविधा, भारतीय विज्ञान संस्थान/ भारतीय तकनीकी संस्थान, जैसे वैज्ञानिक इकाई/ शैक्षणिक संस्थाएं समेत स्वाधिकृत निकायो को भी दी जाए जिनके लेखों भारत के नियंत्रक और महालेखाकार (सीएजी) द्वारा जांचे जाते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे संस्थाओं के लेखापरीक्षक/सीईओ से इस आशय के घोषणा पत्र क़ी प्रस्तुति पर जोर दें कि नियंत्रक और महालेखाकार उनके लेखों का लेखापरीक्षण करते हैं।

इ. अगोचर आयात

(i) जहां आयात अगोचर रूप में हो, अर्थात् इंटरनेट/ डाटाकॉम मार्ग के माध्यम से सॉफ्टवेयर या डाटा तथा ई-मेल/फैक्स के माध्यम से ड्राइंग व डिज़ाइन हो तो सनदी लेखाकार से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए कि आयातक ने सॉफ्टवेअर/डाटा/ड्राइंग/ डिज़ाइन प्राप्त किया है।
(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातकों को सूचित करें कि वे इस खण्ड के अंतर्गत किए गए आयातों की जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों को दें।

8. प्राप्ति सूचना जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक से प्राप्त साक्ष्य अर्थात् आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि, पोस्टल अप्रेज़ल फार्म अथवा सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र आदि की पावती पर्ची जारी करें जिसमें आयात लेनदेन से संबंधित सभी संगत ब्योरे दर्ज हों।

9. सत्यापन और परिरक्षण

(i) आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त किए गए बाह्य लेखा परीक्षकों समेत) आयात के दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपियों अथवा पोस्टल अप्रेज़ल फार्म अथवा सीमा शुल्क निर्धारण प्रमाणपत्र आदि का सत्यापन करें।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत में आयात के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज

सत्यापन की तारीख से एक साल की अवधि तक सुरक्षित रखें। तथापि, जिन मामलों में जांचकारी एजेंसियों द्वारा जांच चल रही हो उनके दस्तावेजों को, संबंधित जांच एजेंसी से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद **ही** नष्ट किया जाए।

10. आयात साक्ष्य का अनुवर्तन

(i) यदि कोई आयातक 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के आयात के लिए किए गए प्रेषणों के संबंध में, भाग III के पैरा 7 के तहत किए गए उल्लेख के अनुसार, प्रेषण की तारीख से तीन महीने के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक उस मामले के संबंध में अगले तीन महीने तक आयातक को पंजीकृत पत्र आदि जारी करने समेत तेज़ी से अनुवर्ती कार्रवाई करें।

ii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक, 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के प्रेषणों के संबंध में, जहां पर कि आयातक ने उपयुक्त दस्तावेजी आयात साक्ष्य प्रेषण की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने में चूक की है उनके आयात लेनदेनों के ब्योरे देते हुए फार्म बीईएफ (प्रारूप संलग्न) में छमाही आधार हर वर्ष जून और दिसंबर के अंत में रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी बैंक कार्य करता हैं, छमाही जिससे विवरण संबधित है , की समाप्ति के 15 दिन के भीतर, प्रस्तुत करे।

iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा एससे कम राशिवाले आयात के साक्ष्य की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वे लेनदेन की प्रामाणिकता और प्रेषक की नेकनीयती से सतुष्ट है।बैंक के निदेशक मंडल एक उचित नीति बनाएं और प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपना स्वंय का आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करे।

11. बैंक गारंटी जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 को अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबीके अनुसार अपने आयातक ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने की अनुमति है।

12. नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण प्लैटिनम/ चांदी का आयात

अ. कंसाइनमेंट आधार पर स्वर्ण आयात

नामित एजेंसियों/बैंकों द्वारा कंसाइनमेंट आधार पर स्वर्ण आयात किया जा सकता है जहाँ पर स्वामित्व आपूर्तिकर्ता के पास रहेगा और आयातक (कंसाइनी) आपूर्तिकर्ता (कंसाइनर) के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। आयात की लागत के लिए प्रेषण बिक्री होने पर और समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता और नामित एजेंसी/बैंक के बीच किए गए करार के प्रवधानों के अनुसार किया जाएगा। ये अनुदेश प्लैटिनम और चांदीके आयात पर भी लागू होंगे।

आ. अनिर्धारित कीमत के आधार पर स्वर्ण आयात

नामित एजेंसी/बैंक एकमुश्त खरीद आधार पर स्वर्ण आयात कर सकते हैं शर्त यह होगी कि स्वर्ण का स्वामित्व आयात के समय ही आयातक के नाम में चला जाएगा परंतु स्वर्ण की कीमत बाद में निर्धारित की जाएगी, जब आयातक स्वर्ण की बिक्री ग्राहकों को करेगा। ये अनुदेश प्लेटिनम और चांदी के आयात पर भी लागू होंगे ।

इ. स्वर्ण का सीधे आयात

प्राधिकृत व्यापारी बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वर्ण के सीधे निर्यात हेतु रत्न और जवाहरात क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और नामित एजेंसियों की ओर से साख पत्र खोल सकता है और प्रेषण की अनुमति दे सकता है :

(क) स्वर्ण का आयात सख्ती से निर्यात आयात नीति के अनुसार होना चाहिए।

(ख) स्वर्ण के सीधे आयात के लिए खोले गए साख पत्र की अवधि सहित आपूर्तिकर्ता और क्रेता की ऋण अवधि 90 दिनों से अधिक के लिए न हो।

(ग) स्वर्ण के आयात से संबंधित सभी लेनदेनों हेतु बैंकर के विवेक का सही-सही उपयोग किया जाए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक सुनिश्चित करे कि यथोचित कर्मिष्ठता का निर्वाह किया जाता है तथा ऐसे लेनदेन करते समय अपने ग्राहकों को जानिए के सभी मानदंडों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी एंटी मनी लाउंडरिंग मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेनों की

सावधानीपूर्वक निगरानी करें। आयातकों के कारबार में भारी अथवा असामान्य वृद्धि की ध्यानपूर्वक जांच यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि लेनदेन वास्तविक व्यापार लेनदेन हैं।

(घ) सामान्य यथोचित कर्मिष्ठता का निर्वाह करने के अलावा साखपत्र खोलने के पहले आपूर्तिकर्ता की विश्वसनीयता का भी पता लगाया जाए। आयातक ग्राहक की वित्तीय स्थिति, कारबार का प्रकार और निवल मालियत के साथ कारबार के टर्नओवर की मात्रा का अनुपात उचित होना चाहिए। उपर्युक्त के अलावा, बैंक ऐसे मामलों में वास्तविक स्थिति के निर्धारण हेतु अन्य बैंकों से सावधानीपूर्वक पूछताछ भी करे। इसके अलावा, आयात/ निर्यात लेनदेनों के लेखा परीक्षा के तरीके को स्थापित करने के लिए ऐसे लेनदेनों से संबंधित सभी दस्तावेजों का कम से कम पांच वर्षों तक रखा जाए।

(ङ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनुदेशों के अनुसार आयातकों द्वारा बिल ऑफ एंट्री की प्रस्तुति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे।

(च) स्वर्ण के आयात का लेनदेन करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के प्रधान कार्यालय/ अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग संलग्नक 3 में दिए गए फार्मेट के अनुसार उसमें एक मासिक रिपोर्ट व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, अमर बिल्डिंग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सर पी.एम.रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 को प्रस्तुत करें।

ई. स्वर्ण ऋण

(i) इस योजना के तहत नामित एजेंसियां/ अनुमोदित बैंक जवाहरात के निर्यातकों को उधार देने के लिए ऋण आधार पर स्वर्ण का आयात कर सकते हैं।

(ii) निर्यातोन्मुखी इकाइयां और विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां, जो रत्न और जवाहरात क्षेत्र में हैं, वे गहने बनाने के लिए ऋण आधार पर सोने का आयात कर सकते हैं और अपने बूते पर ही गहने का निर्यात कर सकते हैं।

(iii) स्वर्ण ऋण की अधिकतम समय सीमा विदेश व्यापार नीति 2004-2009 या इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार होगी।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक यथावश्यक अप्रैल 1, 2003 के फेडाई मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऋण आधार पर स्वर्ण आयात हेतु तत्काल साख पत्र (स्टैंड

बाइ लेटर ऑफ क्रेडिट) खोल सकते हैं। तत्काल साख पत्र की मीयाद स्वर्ण ऋण के मीयाद की तरह हो।

(v) ऋण आधार पर स्वर्ण आयात करने हेतु अनुमत कंपनियों अर्थात् नामित एजेंसियों और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों/ विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों, जो रत्न और जवाहरात के क्षेत्र में है की ओर से तत्काल साख पत्र खोला जा सकता है।

(vi) तत्काल साख पत्र अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुलियन बैंकों के पक्ष में ही होने चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुलियन बैंकों की विस्तृत सूची प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) स्वर्ण आयात और अधिकतम 90 दिनों की मीयादवाले साख पत्र खोलने के संबंध में अन्य सभी वर्तमान अनुदेश यथावत लागू रहेंगे।

(viii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऋण आधार पर किए गए स्वर्ण आयात हेतु जारी तत्काल साख पत्र के साथ सभी आयातों को अनन्य रूप से संबद्ध करने के लिए अपने पास पर्याप्त दस्तावेज रखें।

13. आयात फैक्टरिंग

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैक्टरिंग कंपनियों, अधिमानतः फैक्टर्स चेन इंटरनेशनल के सदस्य के साथ, आयात फैक्टरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं।

(ii) उन्हें व्यापारियों को आयात से संबंधित मौजूदा विदेशी मुद्रा निदेशों, प्रचलित निर्यात-आयात नीति और रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में जारी किसी अन्य दिशानिदेश/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

14.वाणिज्यिक व्यापार

प्राधिकृत व्यापारी बैंक वाणिज्यिक व्यापार लेनदेन अथवा मध्यवर्ती व्यापार लेनदेन करते समय आवश्यक पूर्वोपाय करें कि यह सुनिश्चित किया जा सके किः

(क) लेनदेन के संबधित माल भारत में आयात करने के लिए अनुमत हैं विदेशी वाणिज्यिक व्यापार लेनदेन के निर्यात खंड और आयात खंड के लिए क्रमशः निर्यात (घोषणा फार्म के सिवाय) और आयात (आयात पत्र के सिवाय) के लिए

लागू सभी नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) संपूर्ण वाणिज्यिक व्यापार लेनदेन 6 माह के भीतर पूरा किया जाता है।

(ग)ऐसे लेनदेनों में विदेशी मुद्रा परिव्यय तीन महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं है।

(घ) निर्यात खंड के लिए समय पर भुगतान प्राप्त किया जाता है।

(ङ) जहां निर्यात खंड के लेनदेनों का भुगतान आयात के भुगतान से पहले होता है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह नोट करें कि वाणिज्यिक व्यापार या मध्यवर्ती व्यापार लेनदेनों के लिए आपूर्तिकर्ता से ऋण या क्रेता से ऋण के माध्यम से अल्पावधि ऋण उपलब्ध नहीं है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि भुगतान शर्तें ऐसी हों कि लेनदेन के निर्यात खंड के लिए प्राप्त भुगतान से लेनदेन के आयात खंड की देयता बिना विलंब समाप्त की जाती है।

प्राधिकृत व्यापारी कृपया नोट करें कि आपूर्तिकर्ता ऋण अथवा क्रेता ऋण दोनों के रूप में अल्पावधि ऋण वाणिज्यिक व्यापार अथवा मध्यावर्ती व्यापार लेनदेनों के लिए उपलब्ध नहीं है।

भाग IV

संलग्नक (आयात व्यापार के लिए संबंधित अधिसूचना और फार्म)

संलग्नक 1

बीईएफ

(मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा 10(ii) देखें)

अनुस्मारक भेजने के बावज़ूद दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त न होने पर, आयात के लिए भेजे गए प्रेषणों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम और पता ----------

प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नियंत्रक शाखा का नाम ----------

----------को समाप्त अर्ध-वार्षिक विवरण

टिप्पणी :

i. विवरण, दो प्रतियों में, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा कार्यरत है।

ii. विवरण में में केवल उन लेनदेनों के ब्योरे को शामिल किया जाए जहाँ प्रेषण राशि 100,000 अमरकी डॉलर से अधिक या उसके समतुल्य हो।

iii. जहां अग्रिम प्रेषण के समय प्रेषण का प्रयोजन आयात था और बाद में मुद्रा का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए मुद्रा की विक्री अनुमत है और प्राधिकृत व्यापारी बैंक की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसे मामलों को चूक न समझा जाए, अतः उन्हें बीईएफ विवरण में शामिल न किया जाए।

iv. प्राधिकृत व्यापारी बैंक "इनटु बाण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" को भारत में आयात के अनंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार करें। फिर भी वे यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उपभोग के लिए बिल ऑफ एंट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति उचित अवधि में प्रस्तुत की जाती है। जहां सीमा शुल्क ने ईडीआई प्रणाली का उपयोग किया है और आयातक को सीमा शुल्क से "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की केवल एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है प्राधिकृत व्यापारी बैंक आयातक को यह सूचित करें कि वे माल को वेअरहाऊस/बांड से निकालने के पश्चात घरेलू उपयोग के लिए "एक्स बांड बिल ऑफ एन्ट्री" की फोटो कॉपी प्रस्तुत करें जिसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथावत सत्यापित कराने के बाद आयात के अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। जहां "इनटु बॉण्ड बिल ऑफ एन्ट्री" प्रस्तुत किया गया है ऐसे मामलों को बीईएफ विवरण में रिपोर्ट न किया जाए।

v. विवरण में भारत से 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के सभी प्रेषणों या आयात संबंधी विदेश से प्राप्त भुगतान, अग्रिम भुगतान, विलंबित भुगतान आदि के ब्योरे निधीयन के स्रोत पर ध्यान दिए बगैर शामिल किए जाएं (जैसे ईईएफ़सी खाते/भारत या विदेश में रखे गए विदेशी मुद्रा खाता, बाह्य वाणिज्यिक उधारों से भुगतान, आयातक के शेयरों में विदेशी निवेश आदि)।

vi. पिछले अर्ध-वार्षिक विवरण के भाग - I में रिपोर्ट किए गए मामलों को चालू अर्ध-वार्षिक विवरण के भाग I में पुनः रिपोर्ट न करें ।

vii. जिन मामलों में रिपार्ट के लिए कोई लेनदेन नहीं है उन मामलों में "कुछ नहीं" विवरण प्रस्तुत किया जाए।

viii. विवरण जिस अर्ध-वर्ष से संबधित है उसकी समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

भाग I

आयात के दस्तावेजी सबूत पेश करने में चूक करने वाले आयातकों से संबधित जानकारी

क्रम संख्या	आयातक/ निर्यातक कूट सं	आयातक का नाम और पता	आयात लाइसेंस की सं. और तारीख अगर हो	मालों का संक्षिप्त वर्णन	प्रेषण / भुगतान की तारीख	करेंसी और राशि	समकक्ष रुपये	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
आदि								
आ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
5								
आदि								

भाग II

पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण/विवरणों के भाग I में सूचित आयातकों से बाद में प्राप्त आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी

क्रम संख्या	आयातक का नाम और पता	बीईएफ विवरण की अवधि और पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण की भाग I में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की क्रम सं.	प्राप्ति की तारीख	प्रेषण की राशि		टिप्पणी
				करेंसी और राशि	समतुल्य रुपये	
1	2	3	4	5	6	7
अः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों से इतर अन्य पार्टियों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
4						
आदि						
आ : : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
4						
5						
आदि						

टिप्पणी : पिछले अर्ध वर्ष के दौरान बीईएफ विवरण के भाग II में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों को चालू अर्ध वर्ष के भाग II में दुबारा न रिपोर्ट न किया जाए ।

प्रमाणपत्र

i हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और सही हैं ।

ii इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करतें हैं कि निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है।

iii हम वचन देते हैं कि विवरण के भाग **I** में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में आयातक से पूछताछ जारी रखेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्टैंप

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

संलग्नक - 2

[मार्च 02, 2007 का ए.पी. (डीआइआर सिरीज़ सं.34]

{मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा 1 देखें}

... ... को समाप्त अवधि के लिए कच्चे हीरों के आयात हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के समकक्ष या उससे अधिक अग्रिम राशि के लिए बगैर बैंक गारंटी अथवा स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के अग्रिम प्रेषण को दर्शानेवाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम :

प्राधिकृत व्यापारी कूट (14 अंकों में) :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	आयातक कंपनी का नाम और आइईसी स.	बैंक गारंटी/ स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर किए गए अग्रिम भुगतान की राशि	क्या आयात के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं
1.	डायमंड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि., यू.के.			
2.	रिओ टिंटो, यू.के.			
3.	बीएचपी बिल्लिटोन, ऑस्ट्रेलिया			
4.	इंडियामा ई.पी. अंगोला			
5.	अलरोसा, रूस			
6.	गोखरन, रूस			

बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्टाम्प :

संलग्नक - 3

[एपी (डीआरआर सिरीज़) परिपत्र सं.2 जुलाई 9, 2004]
{मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा 12इ देखें}

_____ को समाप्त माह के दौरान आयातित स्वर्ण का विवरण

बैंक का नाम :

विवरण की तारीख :

	लेनदेनों की सं.		आयातित सोने का मूल्य			
	निर्यात उन्मुख इकाई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक	(मिलियन अमरीकी डॉलर में)		(करोड़ रुपए में)	
			निर्यात उन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक	निर्यात उन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक
सोना (i) भुगतान पर सुपुर्दगी आधार (ii) आपूर्तिकर्ता ऋण आधार (iii) परेषण आधार (iv) अनिर्धारित मूल्य आधार						

टिप्पणी : 1. ऐसे मामलों में लेनदेनों के पूरे विवरण दिए जाएं जहां एकल निर्यातक के लेनदेनों की संख्या एक माह में 10 लेनदेन अथवा आयात का सकल मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो जाता है।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्यात उन्मुख इकाई/ इकाइयों और नामित एजेंसियों के ब्योरे अलग से दिए जाएं

संलग्नक - 4

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

जीएसआर 381 (E)मई 3, 2000 (समय- समय पर यथासंशोधित)* :- केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) और (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से लोक हित में इस आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 कहा जाए।
(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) " अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

(ख) "आहरण" से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत साख पत्र लेना या अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी सम्मिलित है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलगन अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध :- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है , अर्थात्

क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या
ख) नेपाल और / या भूटान में यात्रा; या
ग) नेपाल या भूटान के निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

परंतु खंड (ग) के निषेध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकेगा ।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा; परंतु यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के रेजिडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है ।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :- कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पुर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी संव्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा नहीं लेगा ;परंतु यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है;

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण, लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ एक्स्चेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते से आहरण को यथास्थिति अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. भारत के बाहर रहते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग

भारत के बाहर दौरे पर रहते समय किसी व्यक्ति द्वारा अपने खर्चे के भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 में दी गई कोई भी शर्त लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1
निषिद्ध लेनदेन
(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण ।
2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरुचि से उत्पन्न आय से प्रेषण ।
3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/अभिनिषिद्ध पत्रिका के व्यय के लिए फ़ुटबाल पूल दांव लगाने आदि के लिए प्रेषण ।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त वेंचर/संपूर्ण स्वामित्व समानुषंगियों में इक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर दलाली का भुगतान ।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए शेष लाभांश की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण ।
6. चाय और तंबाकू के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन के सिवाय रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर दलाली का भुगतान ।
7. दूरभाषा के "काल बैक सर्विसेज" से संबंधित भुगतान ।
8. अनिवासी विशेष रुपए खाते (एनआरएसआर) में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण।

अनुसूची - II
केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा रखनेवाले लेनदेन
(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	**भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है ।**
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े से प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सीआईएफ पर आधारित (जैसे एफओबी और एफएएस पर आधारित को छोड़कर) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आयात पर भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. टीवी चैनल और इंटरनेट सेवा देने वाले द्वारा ट्रासंपॉडर का भाड़ा #	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर कंटेनर रोक रखने का प्रभार	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)

8. ऐसे तकनीकी सहयोग करारों के अधीन प्रेषण, जहाँ स्वामित्व का भुगतान स्थानीय विक्रय पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत से अधिक है और एक मुश्त राशि का भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है ।	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय
9. यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है तब अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के पुरस्कार धन/प्रायोजन का प्रेषण ।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग)
10. हटा दिया गया	
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण ।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III
(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक निजी यात्रा के लिए एक कलैंडर वर्ष में 10000 अमरीकी डॉलर उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा का आहरण।
3. @प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक / दाता, 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का दान प्रेषण।
4. #प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान।
5. रोज़गार के लिए विदेश जा रहे व्यक्तियों के लिए 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक मुद्रा सुविधाएं ।
6. 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या उत्प्रवास के देश में निर्धारित उत्प्रवास रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए प्रेषण :
   (i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसका निवल वेतन से अधिक (कर, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और

   (क) कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भिन्न किसी दूसरे देश का नागरिक है,
   (ख) भारत का नागरिक हैं वह ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित के किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है ।
   (ii) अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक।

   स्पष्टीकरण : *इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने प्रतिनियुक्ति पर (उसकी अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।*

8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर विचार न करते हुए, कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में सहभागी होने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चो को वहन करने या विदेश में स्वास्थ की जाँच कराने या चिकित्सीय उपचार/जाँच पड़ताल के लिए विदेश जानेवाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।

9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक मुद्रा जारी करना ।
10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के प्राक्कलनों से अधिक या 100,000 अमरीकी डॉलर "प्रति शैक्षणिक वर्ष" जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना ।
11. भारत में रहने के लिए फ़्लैटों/वाणिज्यिक प्लॉटों के विक्रय के लिए 25,000 अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक प्रेषण प्रति लेनदेन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश के एजेंट को कमीशन ।
12. हटा दिया गया
13. हटा दिया गया
14. हटा दिया गया
15. $विदेशी से बाहर से प्राप्त की गई परामर्शी सेवाओं के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर से अधिक का प्रेषण ।
16. भारत में व्यापार चिह्न /विशेषाधिकार के उपयोग और / या क्रय करने के लिए विप्रेषण ।
17. *पूर्व निगमन व्यय के संवितरण के द्वारा भारत में किसी कंपनी द्वारा 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक प्रेषण।
18. हटा दिया गया

* **(संशोधन)**

(अधिसूचना जीएसआर.663(ई) दिनांक अगस्त 9, 2000, एस.ओ.301(ई) दिनांक मार्च 30, 2001, जी.एस.आर.442 दिनांक अक्तूबर 22, 2002, जी.एस.आर. 831(ई) दिनांक दिसंबर 17, 2002, जी.एस.आर.33(ई) दिनांक जनवरी 15, 2003, जी.एस.आर. 397(ई) दिनांक अक्तूबर 27, 2003, जी.एस.आर. 608(ई) दिनांक सितंबर 13, 2004), जी.एस.आर.512(E) दिनांक जुलाई 28, 2005 और जी.एस.आर.412(E) दिनांक जुलाई 10, 2006।

****

कृपया नोट करें :

@ दिसंबर 20, 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 द्वारा संशोधित

दिसंबर 20, 2006 और अप्रैल 30, 2007 द्वारा क्रमशः ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 और 45 द्वारा संशोधित

$ अप्रैल 30, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46 द्वारा संशोधित

* अप्रैल 30, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47 द्वारा संशोधित

अनुबंध

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची :

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.106	जून 19, 2003
2	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.4	जुलाई 19, 2003
3	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 9	अगस्त 18, 2003
4	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.15	सितंबर 17, 2003
5	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.49	दिसंबर 15, 2003
6	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.66	फरवरी 06, 2004
7	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.72	फरवरी 20, 2004
8	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.2	जुलाई 09, 2004
9	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.34	फरवरी 18, 2005
10	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.01	जुलाई 12, 2005
11.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 33	फरवरी 28, 2007
12.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 34	मार्च 2, 2007
13.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 63	मई 25, 2007
14.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 77	जून 29, 2007